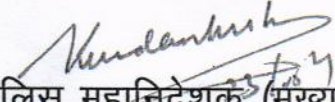


Email

## आदेश

पुलिस मुख्यालय के आदेश ज्ञापांक-190/पी03, दिनांक-05.05.2025 द्वारा 08 वर्षों की क्षेत्रावधि पूर्ण कर चुके सिपाहियों का स्थानान्तरण जिला में किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-8783/2025 में दिनांक-22.05.2025 को पारित आदेश के आलोक में स्थानान्तरित सिपाहियों के विरमन पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

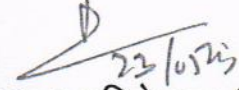
  
अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),  
बिहार, पटना

ज्ञापांक:-पी03-13-05-01-2025/211...

पटना, दिनांक-23/05/2025

प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर पुलिस महानिदेशक/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक (रेल एवं इकाई सहित)/सभी प्राचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

  
अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),  
बिहार, पटना